# RAJPUT TUTORIALS

## न्यायपालिका Judiciary

Name : .....  Date : ...../...../.....

**प्रश्न :– न्यायिक स्वतंत्रता का संवैधानिक संदर्भ दीजिये।**

**उत्तर :– न्यायिक स्वतंत्रता बनाये रखने के उपाय :–**

1. **न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका हस्तक्षेप से मुक्ति,**
2. **न्यायधीशों का नियत/निश्चित कार्यकाल,**
3. **पदावधि से हटाने की जटिल प्रक्रिया,**
4. **पर्याप्त वेतन भते और सुविधाऐं,**
5. **सेवाशर्तों में अलाभकारी परिवर्तनों का निषेध**
6. **विधायिकाओं में नयायाधीसों के आचरण पर चर्चा का निषेध**
7. **न्यायालय को अवमानना के विरूद्ध दण्ड देने की शक्ति( न्यायिक स्वतंत्रता संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है)**
   **कॉलेजियम प्रणाली : न्यायिक नियुक्तियां (सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श पर आधारित ।**
   **अथवा**
   **न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक परामर्श द्वारा किये जाने की पद्धति ही कॉलेजियम है(थ्री जजेज केस संदर्भ)।**

   **न्यायिक नियुक्ति आयोग –99 वें संविधान संशोधन द्वारा विकसित जिसमें न्यायिक नियुक्तियाँ न्यायाधीशों एवं सरकार के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम परन्तु अवैध घोषित।**

### कॉलेजियम

**1982 से 1998** तक "थ्री जजेस केसज" के माध्यम से विकसित हुई प्रणाली जिसमें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय में भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने वरिष्ठम सहयोगियों से परामर्श लेगा जिस पर राष्ट्रपति अनुमति देंगे। न्यायपालिका को राजनीति हस्तक्षेप से मुक्त रखने हेतु यह पद्धति विकसित की गई है, जो वर्तमान में भी जारी है।

### "थ्री जजेस केसज"

कॉलेजियम का परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है या नही इसका निर्धारण करने वाला निर्णय ही "थ्री जजेस केसज" कहा जाता है।

NJAC - न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम की प्रणाली को समाप्त करने के उद्देश्य से 99 वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत। इसमें (NJAC) में मुख्य न्यायाधीश (SC) दो वरिष्ठम न्यायाधीश, केन्द्रीय विधि मंत्री एवं दो प्रसिद्धि प्राप्त कानूनी क्षेत्र के जानकार जिनका मनोनयन एक समिति के द्वारा किया जाना निर्धारित हुआ था परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने (NJAC) को न्यायिक स्वंतत्रता पर अतिक्रमण बताते हुए अवैध घोषित कर दिया।

### कॉलेजियम के पक्ष में तर्क :

1. कॉलेजियम कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं है वरन् ढेड़ दशक लम्बे न्यायिक विमर्श का परिणाम है।
2. न्याय कार्य चूंकि एक तकनीकी कार्य है जिसमें अनुभव एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता है व इसे न्यायिक वातावरण में ही सीखा जा सकता है। अतः ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों का चयन सिर्फ न्यायपालिका ही कर सकती है।
3. कॉलेजियम के कारण न्यायपालिका की स्वंतत्रता राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहती है।
4. अधिकाश विवादों में सरकार एक पक्ष होती है अतः सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा न्यायधीशों की नियुक्ति ना होने से न्यायपालिका अधिक निष्पक्षता में कार्य कर पाती है।

### NJAC के पक्ष में तर्क :

1. NJAC का प्रावधान संवैधानिक रूप से किया गया जबकि कॉलेजियम गैर–संवैधानिक व्यवस्था है।
2. न्यायिक नियुक्तियाँ न्यायाधीश द्वारा किये लाने पर शक्ति संतुलन जो संसदीय शासन की व्यवस्था है वह नष्ट हो जाती है
3. यह व्यवस्था संविधान निर्माताओं की उस भावना का सूचक है जिसे उन्होने संविधान में पहले ही स्थान दे दिया था जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना निश्चित हुआ था।

4. इसका संशोधन संसद के 2/3 बहुमत व 20 राज्यों की विधान सभाओं द्वारा पारित किया जाना इस बात का सूचक है कि देश का जनता भी न्यायिक नियुक्तियों में सुधार की पक्षधर है।

**प्रश्न – न्यायिक सक्रियता से क्या आशय है, भारत में न्यायिक सक्रियता के कारण जहां एक ओर संवेदनशील मुददों का निपटारा हुआ है, वहीं न्यायिक सक्रियता न्यायिक अतिक्रमण के रूप में विकसित हुई हैं टिप्पणी लिखिए।**

**उत्तर :–**

भारतीय संविधान शासन के विभिन्न अंगों के मध्य संतुलन और सामन्जस्य की व्यवस्था को स्वीकारता है और न्यायपालिका की प्रकृति तकनीकि होने के कारण इसे अधिक निश्चितता दी जाती है परन्तु 1980 के दशक से न्यायिक सक्रियता के विचार ने इस धारणा में बदलाव किया और अब न्यायपालिका विशिष्ट भूमिका के साथ–साथ व्यापक भूमिका भी निभाती नजर आती है। न्यायालय के द्वारा अपनी कानूनी औपचारिक भूमिका से आगे बढ़कर अनौपचारिक भूमिका को ग्रहण करना, जिससे संर्वहित की सिद्धि हो सके, वह न्यायिक सक्रियता है। और दूसरे शब्दों में न्याय करते समय इसके अलावा कानूनी पहलुओं तक ही सीमित न रहना ब्लकि समाजपयोगी दशाओं को सुरक्षित और सुनिश्चित करने का प्रयास करना न्यायिक सक्रियता है। अर्थात न्याय वह है जो ना केवल किया जाए ब्लकि होता हुआ दिखाई दे।

- न्यायियक सक्रियता के विकास में पी. एन. भगवती और वी. आर. कृष्ण अय्यर का मुख्य स्थान रहा और न्यायिक सक्रियता का प्राम्भिक रूप मानवधिकारों की रक्षा के लिए विकसित हुआ। सुनिल बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, मेनका गांधी वाद और हुशन आरा खातुन वाद में यह सुनिश्चित किया कि न्याय की प्रक्रिया का उचित एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए।
- 1980 के दशक में जहां न्यायिक सक्रियता का सरोकार कानूनी न्यास से था, वहीं 1990 के दशक में वैश्वीकरण के प्रारम्भ से हुई नवीन समस्याएँ– जैसे मानवधिकारों का हनन, महिला उत्पीड़न में वृद्धि, वैश्विक आतंकवाद, पारिस्थितिक असंतुलन आदि से भी हो गया। इसलिए न्यायिक सक्रियता के क्षेत्र में नवीन आयाम जुड़ गए और इसी कारण समाज का हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर प्रकृति पर इसका ध्यान आकर्षित हुआ।
- जनहित याचिकाओं के विकास के कारण न्यायिक सक्रियता में लोकहितवादी संकल्पना को महता प्राप्त हुई और न्यायपालिका उन विशाल संख्या के जनमानस के लिए आशा का किरण बनी जो प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही से पीड़ित थे। न्यायिक सक्रियता के परिणाम स्वरूप ही विविध क्षेत्रों में जनअसंतोष के संवेदनशील तरीके ।
- जाने और समझे गये तथा सामाजिक न्याय के विशुद्ध विचार को उर्वर दृष्टि प्राप्त हुई। भले ही न्यायिक सक्रियता न्यायिक दृष्टिकोण में उदारता और संवेदन शीलता का सूचक रही हो परन्तु जैसी ही 'लार्ड एक्टन' ने कहा कि "शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पुर्णतया भ्रष्ट कर देती है।" अतः न्यायपालिका ने भी न्यायिक सक्रियता के बलबुले अपनी शक्तियों में असीमित वृद्धि कर ली । जनहित याचिकाओं की प्रकृति इतनी सरल हो गई है कि न्यायपालिका के द्वारा सरकार के कानूनों और उसके कार्यों के व्याख्या करने के क्रम में रूढ़िवादिता या परिवर्तन विरोध को जन्म दिया इसके परिणाम स्वरूप न्यायिक सक्रियता, न्यायिक हस्तक्षेप और न्यायिक अतिक्रमण में रूपान्तरित हो गया है जिसे लोकतंत्र के कुशल संचालन की एक बाधा माना जा सकता है।
- निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में नवाचारों का सदैव स्वागत होता है। और न्यायिक सक्रियता ऐसा ही एक नवाचार है परन्तु इसके साथ मौलिक प्रवर्तियों का विध्वंस स्वीकार्य नही हो सकता अतः न्यायिक सक्रियता को विकास लोकतांत्रिक परिपक्वता के दृष्टि कोण से किया जाना चाहिए ताकि शासन के अंगों में संतुलन और अन्तः क्रिया संवाद बन रह सके।

विधा अतुल्य अलकार
RAJPUT TUTORIALS